न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.

राजस्व अपील सं0 131/2022 **अनवान** शंकरलाल उर्फ शंकराराम बनाम उपायुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर

निर्णय

30.12.2022

अपीलांट द्वारा उक्त अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ए(9) के तहत अधीनस्थ कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के समक्ष आवेदक श्री देवाराम पुत्र जोराराम वगैराह के प्रकरण सं0 385/03 राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नं0 72 रकबा 58.10 बीघा का राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की तत्समय प्रचलित धारा 90–बी के तहत आवासीय योजना प्रयोजनार्थ का ले–आउट प्लान, एसटीपी कार्यालय से दिनांक 05.06.2003 को स्वीकृती के उपरांत, अपीलांट–आपत्तिकर्ता–शंकरलाल द्वारा दिनांक 30.07.2019 को उक्त खसरान की भूमि का बंटवारा नही होने के कारणों से नियमन की कार्यवाही रोकने तथा पट्टा जारी नही करने हेतु प्रस्तुत आपत्ति/अन्य आपत्तियों के संदर्भ में उपायुक्त (दक्षिण) जो0वि0प्रा0 द्वारा बाद सुनवाई, इनका निस्तारण कर, आवेदित योजना में आरएलआर की धारा 90–क के अन्तर्गत पट्टा जारी करने की कार्यवाही निष्पादित करने के निर्णय क्रमांक 8897 दिनांक 07.10.2022 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया व अपीलांट के विरूद्ध प्रत्यर्थी अभिभाषक की बहस सुनी। प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। जिसके अनुसार मुख्यतः आवेदित भूमि तत्समय के खातेदारों द्वारा आवेदित की गई थी, जिसमें नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 21.02.2014 को धारा 90–क का आदेश सभी खातेदारों के नाम पारित कर दिया गया था। जिसकी पालना में उक्त समस्त कृषि भूमि प्राधिकरण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्थान नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ अनुज्ञा एवं आवंटन नियम, 2012 के संशोधित नियम 9 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष 30 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

जबकि अपीलांट द्वारा धारा 90–क के तहत पारित उक्त आदेश के पश्चात वर्ष 2019 में जेडीए के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति के निस्तारण संबंधी निर्णय दिनांक 07.10.2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है, यह आदेश 90–क का नही है, बल्कि इन्टरलोकेट्ररी आर्डर है, जो अपीलेबल ही नही है।

पत्रावली एवं प्रकट तथ्यों आधार पर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि उक्त निर्णय जेडीए के समक्ष प्रकियात्मक कार्यवाही का अंतरिम पार्ट है, जो चुनौति योग्य नही है।

अधिनियम में विहित प्रावधानों के अनुसार, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90क ''कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यो में प्रयोग'' के तहत पारित आदेश के विरूद्ध, इस अधिनियम की उप धारा 9 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष अपील का प्रावधान है। इसके अलावा राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84–क में इस अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही में पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध कोई निगरानी नही होने के स्पष्ट प्रावधान है। अतः इस आधार पर उक्त अपील सारहीन व आधारहीन है तथा बिना विधिक प्रावधानों के प्रस्तुत की गई है, जो तद्नुसार खारीज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक खुले न्यायालय लिखाया जाकर, सुनाया गया।

30/11/22

(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर